



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102023-249820
CG-DL-E-31102023-249820

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 633]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 31, 2023/कार्तिक 9, 1945

No. 633]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2023/KARTIKA 9, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2023

सा.का.नि. 813(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय- कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सत्ताईसवां संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

2. आय-कर नियम, 1962, के परिशिष्ट-2 के प्ररूप आईटीआर 7 के भाग (ख) में, 1 अप्रैल, 2023 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए—

(क) भाग बी – टीआई, भाग बी1, में क्रम संख्यांक 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“16	धारा 115 खखझ के अधीन प्रभार्य विनिर्दिष्ट आय, 13 में सम्मिलित, @ 30% से कराधेय की जानी है (अनुसूची 115 खखझ का क्र.सं. 7)	16	
17	सामान्य दरों पर कराधेय की जाने वाली कुल आय (13-14-15-16) (धारा 115 खखझ के	17”;	

	अधीन विनिर्दिष्ट आय से भिन्न आय सम्मिलित)		
--	--	--	--

(ख) भाग बी-टीटीआई में क्रम संख्यांक-1 के सामने उससे संबंधित मद क और प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

“क	[भाग बी-टीआई के भाग बी1 का क्र.सं.17] या [भाग बी-टीआई के भाग बी2 का क्र.सं.(13-14)] या [भाग बी-टीआई के भाग बी3 का क्र.सं.13] पर सामान्य दरों पर कर	1क”	
----	--	-----	--

[अधिसूचना सं. 94 /2023/फा.सं.370142/2/2023-टीपीएल-भाग (1)]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन:- यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है और पूर्व वर्ष 2022-2023 से सुसंगत निर्धारण वर्ष 2023-24 को लागू होता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण:- मूल नियम अधिसूचना का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि 786 (अ) तारीख 19 अक्तूबर, 2023 को किया गया।